

श्रीमान पुलिस अधीक्षक अंबेडकरनगर के निर्देशन में "जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी (DDC)" द्वारा मादक पदार्थों के कुल 99 अभियोगों से संबंधित माल का निस्तारण/विनिष्टीकरण कराया गया।

- जनपद अम्बेडकरनगर के 18 थानों पर पंजीकृत कुल 99 अभियोगों से सम्बंधित कुल 662.727 किग्रा (अवैध गांजा, चरस, हीरोइन /स्मैक, नशीली गोली) का कराया गया विनष्टीकरण।
- जनपद अम्बेडकरनगर थाना अलीगंज क्षेत्रांतर्गत स्थित महामाया एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज अंबेडकरनगर के इन्सिनेटर द्वारा कराया गया निस्तारण/विनिष्टीकरण।
- ➤ विनष्टीकरण किये गये मादक पदार्थों की कुल अनुमानित कीमत करीब 5.50 करोड़ रुपये।

जनपद अम्बेडकरनगर के विभिन्न थानों पर अवैध मादक पदार्थों से संबंधित पंजीकृत अभियोगों से संबंधित माल के निस्तारण हेतु माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत आदेश के अनुपालन में गठित "जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी" (DDC) द्वारा मादक पदार्थों, स्वापक औषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों और नियंत्रित पदार्थों के निस्तारण की कार्यवाही के क्रम में दिनांक 29.01.2025 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक अंबेडकरनगर श्री केशव कुमार के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री श्यामदेव के पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी टांडा श्री शुभम कुमार के नेतृत्व में जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी द्वारा जनपद के 18 थानों पर अवैध मादक पदार्थों से संबंधित पंजीकृत कुल 99 अभियोगों से सम्बंधित कुल 662.727 किग्रा (अवैध गांजा, चरस, हीरोइन/ स्मैक, नशीली गोली) का विनष्टीकरण/निस्तारण, मानक के अनुसार थाना अलीगंज क्षेत्रांतर्गत स्थित महामाया एलोपेथिक मेडिकल कॉलेज अंबेडकरनगर के इन्सिनेटर के माध्यम से कराया गया। विनष्टीकरण कराये गये कुल 662.727 किग्रा अवैध मादक पदार्थों (अवैध गांजा, चरस, हीरोइन /स्मैक ,नशीली गोली) की अनुमानित कीमत करीब 5.50 करोड़ रुपये है।